फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री हीरालाल **विपक्षी :– श्रीमती उदकी**

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 141/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.04.2023	

दिनांक : 27.04.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प विजनवास में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./23/809 दिनांक 27.04.2023 से रिपोर्ट पेश कर वादग्रस्त आराजीयात के पक्षकार खातेदार नहीं होकर भूदान होल्डर के हैसियत से दर्ज होना बताकर बंटवाडा नहीं किया जाने का निवेदन किया। रिपोर्ट शामिल फाईल रहे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित आराजीयात सामलाती होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होकर बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार नहीं होकर भूदान होल्डर के हैसियत से दर्ज हैं एवं विभाजन बाबत् खातेदार होना आवश्यक होता हैं। भूदान होल्डर की हैसियत से पक्षकार भूमि का मात्र उपयोग उपभोग ही कर सकते है उसे किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अतः भूदान होल्डर की जमीन का बंटवाडा/हस्तान्तरण आदि नहीं किया जा सकता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

“प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023”

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 141/21 (वाद) GCMS No. : 2021/279

उनवान

1. श्री हीरालाल पिता गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
2. श्री मोहनलाल पिता गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
3. श्री सोहनलाल पिता गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
4. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
5. श्रीमती मांगीबाई पुत्री गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
6. श्रीमती अंबुबाई पत्नी गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
7. श्री चुन्नीलाल पिता पन्नालाल भील निवासी विकरणी तह. मावली।
8. श्रीमत पतुबाई पत्नी पन्नालाल भील निवासी विकरणी तह. मावली।
9. सुश्री नानी पुत्री पन्नालाल नाबालिग वली माता पतुबाई पत्नी पन्नालाल भील निवासी विकरणी तह. मावली।
10. श्री रोशन पिता पन्नालाल भील निवासी विकरणी तह. मावली।
11. श्रीमती दाखु पुत्री धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
12. श्रीमती मगनी पत्नी धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
13. श्रीमती माणकी पुत्री धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
14. श्रीमती मोवनी पुत्री धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
15. श्रीमती लाली पुत्री धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
16. श्रीमती गंगा पुत्री धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
17. श्री नानालाल पिता लिम्बा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
18. श्री वालु पिता कालु भील निवासी विकरणी तह. मावली। ....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती उदकी पत्नी केंरिग भील निवासी विकरणी ह. मावली।
2. श्री ओमीलाल पिता लोगर माता कालीबाई पुत्री लोगर भील निवासी संगावला चन्देसरा तह. मावली।
3. श्रीमती कुश्बा पुत्री लोगर माता कालीबाई पुत्री लोगर भील निवासी संगावला चन्देसरा तह. मावली।
4. श्रीमती नकारीबाई पुत्री लोगर भील निवासी विकरणी तह. मावली।
5. श्री भगा पिता लोगर भील निवासी विकरणी तह. मावली।
6. श्री लालुराम पिता कालू भील निवासी विकरणी तह. मावली।
7. श्रीमती रोडीबाई पुत्री कालू भील निवासी विकरणी तह. मावली।
8. श्री सुरेश पिता कालु भील निवासी विकरणी तह. मावली।
9. श्री हेमराज पिता लोगर भील निवासी विकरणी तह. मावली।
10. श्री लालुराम पिता धर्मा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
11. श्री नाथुलाल पिता गांगा भील निवासी विकरणी तह. मावली।
12. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तह. मावली।
13. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
    राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली। ....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली